

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक : प.22(4)न्याय/2020

जयपुर, दिनांक

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ विधि अधिकारियों को न्यू फौजदारी विधि, सेंवाए नियम अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बंधित नियम, विधि एवं न्याय विभाग मैनुअल एवं अन्य विभागों द्वारा जारी महत्वपूर्ण परिपत्र एवं आदेश आदि के सम्बन्ध में 02 दिवसीय पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के लिए दिनांक 15.04.2026 से दिनांक 16.04.2026 तक प्रातः 9.15 बजे हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर (नेहरू भवन के कक्ष संख्या 216) में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कार्मिक सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	पदस्थापन स्थान
1.	सुमन चौधरी	नगर निगम जयपुर ग्रेटर, जयपुर
2.	विश्वजीत तंवर	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर
3.	प्रतिभा शर्मा	निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर
4.	प्रिया अग्रवाल	पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर
5.	संजीत मीना	बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर
6.	मोहम्मद उजैर	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
7.	सुनीता वर्मा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सिंचाई, जयपुर
8.	दिव्यांशी सक्सेना	आयुक्तालय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण, जयपुर
9.	निमिता शर्मा	एस.एम.एस. मेडिकल कोलेज, जयपुर
10.	आरिफ मंसूरी	नगर निगम जयपुर ग्रेटर, जयपुर
11.	पायल सोनी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
12.	दिनेश जांगिड	आरयूआईडीपी पीएमयू, जयपुर
13.	हर्षवर्धन सिंह जुगतावत	पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर
14.	निर्मला चौधरी	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर वृत कार्यालय, जयपुर
15.	हेमेन्द्र सिंह चौहान	आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर
16.	अंकित सिंह	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
17.	लक्षित चौधरी	नगर निगम, जयपुर ग्रेटर जयपुर
18.	सुरभी पूनिया	कार्यालय निदेशक, उद्यानिकी विभाग, जयपुर
19.	मनीषा सैनी	निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
20.	कृष्ण कुमार	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
21.	निधि मीना	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर
22.	ऋषिकेश सुसावत	नगर निगम जयपुर हैरिटेज, जयपुर
23.	नीतिका सिंह	आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सचिवालय, जयपुर
24.	पिंकी मीना	जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर
25.	शैलेन्द्र सिंह तंवर	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सम्भाग-द्वितीय, जयपुर
26.	नेहा मीना	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर
27.	रिंकेश कुमार मीना	नगर निगम जयपुर हैरिटेज, जयपुर
28.	राकेश कुमार मीना	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
29.	अंजली कौर	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
30.	सुमन बुनकर	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, साधारण बीमा योजना, जयपुर

31.	दीपक कुमार	राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर
32.	बिंदिया आर्य	राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, जयपुर
33.	निकुंज मनतवाल	उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर
34.	अनिता चौधरी	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर- I।
35.	तेज करण सैनी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
36.	विनोद कुमार	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
37.	कमलेश सैनी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
38.	कैलाश चंद शर्मा	कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, वित्त भवन जयपुर
39.	रेणु शर्मा	राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर
40.	प्रभाकर	निदेशालय, नागरिक सुरक्षा, जयपुर
41.	ऋषि गोठवाल	जिला कलक्टर, कार्यालय जयपुर
42.	कमलेश	राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर
43.	मुदित श्रीवास्तव	निदेशक यूनानी चिकित्सा, जयपुर
44.	सीमा	उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर
45.	कृतिका वर्मा	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), अलवर
46.	मोनिका सिंह	संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर, अजमेर
47.	दीपा शर्मा	महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर
48.	तरुण वैष्णव	नगर परिषद्, किशनगढ़ (अजमेर)
49.	चंचल तंवर	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, अजमेर
50.	प्रमिला देवडा	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), अजमेर

आज्ञा से,

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एवं विभागाध्यक्ष, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक: लीगल/ट्रेनिंग/2026/20 दिनांक 01.04.2026 के क्रम में।
4. संबंधित विभाग को भेजकर लेख है कि संबंधित अधिकारी/कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करें।
5. संबंधित अधिकारी को भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु अपने-अपने विभाग से कार्यमुक्त होकर दिनांक 15.04.2026 को प्रातः 9.15 बजे हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में उपस्थित हों।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Document certified by ANKIT RAMAN
<ankitraman.ar@gmail.com>.

Digitally Signed by ANKIT
RAMAN
Designation: Joint Secretary
Date :08-04-2026 11:07:48

RajKaj Ref No.:
21461374

eSign DSC